वाद सं०–M 09 / 2019

धारा–107 द०प्र०सं०

दिलेश्वर महतो वगैरह .....प्रथम पक्ष

बनाम

दुखीरम महतो वगैरह .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
24-09-2020	प्रस्तुत वाद में तमाड़ थाना अप्राथमिकी संख्या–02 / 19 दिनांक–03 / 03 / 19 में प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह विवाद भूमि को लेकर उभय पक्ष में उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष गवाह :– नारायण स्वांसी, पिता–मंगल स्वांसी ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जगह जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है। दोनों तरफ से गाली–गलौज हो रहा था। दिलेश्वर महतो को गाली दे रहा था। विवादित जमीन पर दिलेश्वर काम करता था, उसी का जमीन है। मैं रोज आते–जाते दिलेश्वर महतो को ही खेत पर काम करते देखता हूँ। मैं दोनों पक्ष में सिर्फ प्रथम पक्ष को जानता हूँ और किसी को नहीं पहचानता हूँ। केस होने के बाद दोनों पक्ष से भेंट नहीं हुआ है। इसलिए दोनों पक्ष के बीच इस बीच हुए लड़ाई–झगड़ा का मालूम नहीं है। न ही किसी ने ऐसा बताया है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– दिलेश्वर महतो, पिता–स्व० जीवन महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं लखेश्वर महतो, दुखीराम महतो, समल महतो पर केस किया हूँ।झगड़ा का कारण भूमि विवाद है। विवाद के समय मैं बोला कि छोटे भाई को जमीन बिक्री करने दीजिए तो द्वितीय पक्ष के दुखीरम महतो गाली दिया तथा जान मारने का धमकी दिया। राजनीतिक तरीके से भी धमकी दिया। मेरा तथा मेरे परिवार को अभी भी जान–माल का खतरा है। द्वितीय पक्ष से अभी भी जगमोहन महतो एवं दुखीराम महतो से धमकी मिलते रहता है। मैं थाने में लिखित आवेदन 27 / 02 / 2019 को दिया था। उभय पक्ष एक ही भैयाद है। ये विवाद लगभग 11–12 बजे पूर्वाह्न में हुआ था। विवाद चल रहा था, मेरे पहूँचने के बाद विवाद बढ़ गया। पूर्व में मेरे छोटे भाई मुचिराम महतो के साथ विवाद चल रहा था, जो कि इस केस में पक्षकार भी है। पिछले एक–डेढ़ माह से धमकी नहीं मिला है। जब से केस हुआ है तब से अभी तक द्वितीय पक्ष से किसी प्रकार का लड़ाई–झगड़ा या मारपीट नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष गवाह :– नारायण महतो, पिता–दशरथ महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष जमीन बँटवारा को लेकर विवाद है। घटना की तारीख मालूम नहीं है।विवदित जमीन से प्रथम पक्ष के मुचीराम महतो झाड़ी काट रहे थे। तब से द्वितीय पक्ष के लोग वहाँ गये थे। मेरा घर दलकीडीह घटना स्थल से लगभग 8 कि०मी० दूर है। मैं दोनों को पहचानता हूँ। कोर्ट में अभी प्रथम पक्ष के दोनों सदस्य उपस्थित है। यह घटना दोपहर के समय घटित हुई थी। वहाँ भाग–बँटवारा का चर्चा हो रहा था। लोग इक्ठ्ठा थे तो मैं भी वहाँ गया। उभय पक्ष में इस घटना के पहले कोई झगड़ा की जानकारी मुझे नहीं है। प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष का झगड़ा ही नहीं है तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से जान–माल का डर है कि नहीं कैसे बता सकता हूँ। द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह:– सोमल महतो, पिता–स्व० डोमन महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि इस केस मे मैं द्वितीय पक्ष हूँ। दिनेश्वर महतो और मोचीराम महतो ने केस किया है। 25 / 02 / 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा जमीन विवाद को लेकर हुआ है। झाड़ी साफ करते वक्त दुखीराम महतो, लोकेश्वर महतो और मैं स्वयं मना करने गये थे। जमीन बँटवारा कर लो तब अपना हिस्सा बेचना, जमीन संयुक्त संपत्ति है। मेरे और प्रथम पक्ष के मध्य कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। वाद दायर होने के उपरांत आज तक दोनो पक्ष में कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं है। दोनों पक्ष में शांति है। मुकदमा के दौरान दिलेश्वर महतो को जान से मारने की धमकी नहीं दिया हूँ।जमीन को लेकर दोनों पक्ष में झगड़ा होने की संभावना नहीं है। वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि यह विवाद प्रश्नगत भूमि पर परस्पर दावेदारी को लेकर उत्पन्न हुआ है, जो कि सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। कृ०पृ०उ० /–	

तिथि	आदेश
	उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 24/9/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) 24/9/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

23.

24-9

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.14 14:41:43 +05:30
Location: 10.93.79.5